मु.नं.–41 / 2021 GCMS ID-2021/72 ता.रजु–07.06.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

जनवेद पुत्र श्री प्रहलाद मीना ग्राम पंचायत सपोटरा की झोंपड़ी (भम्बुपुरा) तहसील सपोटरा जिला करौली (राज.) – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सपोटरा – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–26.08.2021

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने की व्यवस्थाओं में एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी दिनांक 14.07.2021, 22.07.2021, 29.07.21, 02.08.21, 11.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर (1) भम्बुपुरा के ग्रामीणों के द्वारा आपके कार्यालय में कितनी बार विद्यालय के लिए सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रार्थना की गई? ग्रामीणों के उन सभी प्रार्थना पत्रों पर आप द्वारा संबंधित अधिकारियों को कितनी बार क्या दिशा निर्देश दिये गये? उन सभी आदेशों की सत्यप्रति उपलब्ध करावें, (2) भम्बुपुरा में उक्त अतिक्रमण के संबंध में आपके पास उच्च अधिकारियों /कार्यालयों से आये हुए समस्त अंतः कार्यालयिक पत्रकों/आदेशों की प्राप्ति दिनांक सहित सत्यापित प्रति दी जाये, (3) दिनांक 25.07.2020 को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के बाद विकास अधिकारी द्वारा आपको प्रस्तुत की गई मौका फर्द रिपोर्ट की फोटो ग्राफ सहित सत्यप्रति दी जावे, (4) दिनांक 25.07.2020 को अतिक्रमण हटाने के बाद आपके द्वारा उच्च अधिकारियों को दिये गये पूर्ण सूचना पत्रकों की सत्यापित प्रतिलिपि दी जाये, (5) रा.प्रा.वि. भम्बुपुरा के प्रधानाध्यापक एवं पीईईओ के द्वारा आप को स्कूल पर अतिक्रमण या अतिक्रमी लोगों द्वारा अध्यापकों को डराने/ परेशान किये जाने हेतु जितने भी प्रार्थना पत्र दिये गये हैं, उन सभी प्रार्थना पत्रों की सत्यप्रति दी जावे, आदि कुल 5 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके पत्रांक आरटीआई/2021/621 दिनांक 04.03.2021 से सूचना नियत समयावधि में जरिये डाक भिजवायी जा चुकी है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा पुनः कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त सूचना प्राप्त कर ली है। प्राप्ति रसीद संलग्न है। अंत में अपील अपीलार्थी ड्रॉप फरमाने का निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दी गई है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने एवं उसके उपस्थित नहीं आने से यह विदित होता है कि अपीलार्थी उक्त सूचना से संतुष्ट है।
7. अतः हम अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना उचित समझते हैं।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली